

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 874 / 2012 / अलवर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, शाहजहांपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अजन्ता सोया लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वैभव कासलीवाल,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 28 / 5 / 2014

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-शाहजहांपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 111/RVAT/2010-11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.10.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के वेट अधिनियम की धारा 24, 25, 61 व 75(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.8.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-'अ', भिवाड़ी द्वारा दिनांक 17.12.2009 व 18.12.2009 को प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण श्री महेश गुप्ता उप-प्रबंधक (लेखा) की उपस्थिति में किया गया। व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध माल की फर्द तैयार की जाकर लेखा-पुस्तकों से सत्यापन किये जाने पर मौके पर निम्न माल अधिक पाया गया -

1. वनस्पति - 25831.635 किग्रा.
2. रिफाइण्ड पाम - 1490.400 किग्रा.
3. रिफाइण्ड सोया - 1686.180 किग्रा.

इसी प्रकार निम्न माल लेखा-पुस्तकों में घोषित माल से कम पाया गया-

1. वनस्पति - 1506.960 किग्रा.
2. रिफाइण्ड पाम - 39036.000 किग्रा.

लगातार.....2

साथ ही सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित प्रवेश कर योग्य माल पर प्रवेश कर चुकाये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

साथ ही तैयार माल को स्टॉक ट्रांसफर व कन्साईनमेंट पर राज्य के बाहर भेजा गया है, किन्तु उक्त माल के निर्माण में राज्य के भीतर क्रय किये गये कच्चे माल पर चुकाये गये कर को रिवर्स नहीं करना पाया गया। राज्य के बाहर की गई बिक्री से सम्बन्धित घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

उक्त अनियमितताओं के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 75(1), 61 व 75(8) के तहत नोटिस दिनांक 22.2.2010 को जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 20.8.2010 को प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया गया कि जांच अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही में विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। कच्चे माल, प्रोसेसिंग माल एवं खुले रिफाईण्ड तेल का स्टॉक नहीं लिया गया है। केवल तैयार पैकड माल की गणना की गई है। यह भी कथन किया गया कि उनके पास अपने व्यवसाय स्थल पर जगह की कमी होने के कारण अन्य गोदाम में माल रखा जाता है। अतः कम पाया गया रिफाईण्ड पाम ऑयल उनके दूसरे गोदाम में रखा हुआ था, जिसका इंड्राज उनकी नियमित लेखा-पुस्तकों में किया हुआ है। वक्त सत्यापन उक्त माल का सत्यापन नहीं किये जाने से माल में कमी पायी गयी है। अधिक पाये गये माल के सम्बन्ध में कथन किया गया कि दिनांक 17.12.2009 को उत्पादन जारी था, जबकि माल की गणना अगले दिवस अर्थात् दिनांक 18.12.2009 को की गयी है, जिसकी वजह से स्टॉक में माल की अधिकता आई है। व्यवहारी द्वारा उक्त जवाब के साथ कच्चे माल, तैयार माल एवं राज्य के भीतर व बाहर विक्रय किये गये माल का विवरण प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 24, 25, 61 व 75(8) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.8.2010 को पारित करते हुए नियमित करारोपण के अतिरिक्त पायी गयी उक्त अनियमितता के आधार पर अतिरिक्त कर रुपये 1,19,684/-, ब्याज रुपये 15,436/- एवं शास्ति रुपये 5,15,636/- का आरोपण किया गया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2011 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, व्यवहारी द्वारा दूसरे गोदाम में रखे हुए बताये गये माल कीमतन

लगातार.....3



रूपये 3,70,142/- के सम्बन्ध में आरोपित कर, ब्याज व शास्ति की पुष्टि की गई तथा शेष बिन्दुओं पर अपील स्वीकार करते हुए आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया है।

अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण व रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत बताते हुए कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण लूज पाया गया रिफाइण्ड पाम ऑयल 31935 किग्रा. कीमतन रूपये 13,73,205/- बहियात में घोषित स्टॉक से कम पाया गया था। वक्त सर्वेक्षण उपलब्ध सम्पूर्ण निर्मित व कच्चे माल का स्टॉक सर्वेक्षण दल द्वारा लिया गया था तथा सर्वेक्षण दल को उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाओं पर विचार कर लिया गया था। सर्वेक्षण के समय व्यवहारी की ओर से यह बात नहीं बताई गई कि लूज पाम तेल किसी भूतल टैंक में रखा हुआ है। सर्वेक्षण के समय पाये गये माल का बहियात से मिलान करने के उपरान्त स्टॉक कम पाये जाने की स्थिति में कमी का कारण बताया जाकर शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार किया। अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिये बिना भूतल टैंक में माल की सम्भावना के आधार पर अपील इस बिन्दु पर स्वीकार कर, कर रूपये 54,928/-, ब्याज रूपये 4394/- व शास्ति रूपये 1,09,856/- अपास्त किये जाने में तथ्यात्मक व विधिक भूल की है।

अग्रिम कथन किया कि सर्वेक्षण के समय वनस्पति घी, रिफाइण्ड पाम तेल व रिफाइण्ड सोया तेल कीमतन रूपये 12,49,039/- भौतिक रूप से स्टॉक लिये जाने व बहियात से मिलान करने पर बहियात में घोषित स्टॉक से अधिक पाया गया था। सर्वेक्षण दल द्वारा भौतिक रूप से उपलब्ध पूरे निर्मित व कच्चे माल का स्टॉक लिया जाकर सूची (Inventory) बनाई गई थी। स्टॉक दिनांक 16.12.2009 तक (दिनांक 17.12.2009 के प्रारम्भिक स्टॉक अनुसार) का ही लिया गया था। सर्वेक्षण के दिन 17.12.2009 को भी व्यवहारी की ओर से यह सूचित नहीं किया गया था कि दिनांक 17.12.2009 का निर्मित स्टॉक भी शामिल कर लिया गया है। वक्त सर्वेक्षण व्यवहारी के कर्मचारी भी मौजूद थे। वास्तव में व्यवहारी ने करापवंचन को छुपाने के लिये बहियात से स्टॉक के सत्यापन के पश्चात शपथपत्र पेश कर यह तर्क गढ़ा गया है कि दिनांक 17.12.2009 का निर्मित माल का स्टॉक सूची में शामिल करने के कारण स्टॉक

लगातार.....4

अधिक पाया गया। अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधिक पाये गये स्टॉक पर आरोपित कर रूपये 49,962/-, ब्याज रूपये 3979/- व शास्ति रूपये 3,74,712/- को अपास्त कर विधिक व तथ्यात्मक भूल की है।

उक्त आधारों पर अपीलीय आदेश अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश बहाल किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के सभी तथ्यों पर विचार करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। उनका कथन है कि सर्वेक्षण दल द्वारा भूतल टैंक में उपलब्ध पाया माल का स्टॉक नहीं लिये जाने तथा दिनांक 17.12.2009 को निर्मित माल का स्टॉक की गणना में लिये जाने के कारण स्टॉक में भिन्नता आई थी, जिसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी ने शपथपत्र प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना शपथपत्र को मिथ्या साबित किये कर, ब्याज व शास्तियां आरोपित कर आदेश पारित किया था, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है।

अग्रिम कथन किया कि कथित रूप से अधिक पाये गये माल पर भी बिना विक्रय के ही कर व ब्याज आरोपित किया गया था। वेट अधिनियम के तहत स्टॉक पर करारोपण किये जाने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है।

उक्त आधारों पर अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। व्यवहारी का दिनांक 17.12.2009 को सर्वेक्षण किया गया था। उपलब्ध नियमित लेखा-पुस्तकों में स्टॉक पंजिका में श्रेणीवार दर्ज माल के दिनांक 16.12.2009 के अंतिम स्टॉक पर अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। सर्वे दिनांक को ही समस्त माल के स्टॉक की Inventory बनाकर सर्वेक्षण फर्द बनाते हुए श्री महेश गुप्ता डिप्टी मैनेजर (अकाउण्ट्स) के बयान कलमबद्ध किये गये। पत्रावली अनुसार उसी दिन जांच अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को व्यवहारी द्वारा कारित अनियमितताओं की सूचना देते हुए वाणिज्यिक कर आयुक्त के परिपत्र दिनांक 7.8.2009 के अनुसरण में प्रकरण किसी अन्य वृत्ताधिकारी को स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गया। अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित हुआ। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 29.3.2010 को व्यवहारी के लेखा-पुस्तकों में भौतिक सत्यापन पर पाये माल का मिलान किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि -

लगातार.....5

- (1) वनस्पति घी के 5 लीटर भर्ती के तथा पाम ऑयल के 15 किलो टिन क्रमशः कीमतन रूपये 64,799/- व 3,05,343/- एवं लूज पाम ऑयल 31935 किग्रा. कीमतन रूपये 13,73,205/- कुल कीमतन रूपये 17,43,347/- कम पाया गया।
- (2) वनस्पति घी के विभिन्न भर्तियों का तथा रिफाइण्ड पाम व सोया ऑयल का कुल कीमत रूपये 12,49,039/- का स्टॉक लेखा-पुस्तकों में घोषित स्टॉक से अधिक पाया।

इसलिए वर्ष 2009-10 के नियमित कर निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 25, 61 व 75(8) के तहत नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 20.8.2010 को शपथपत्र दिनांक 14.8.2010 के साथ पेश किया। जिस पर विचार करने के उपरान्त विवादित माल सृजित की।

अपीलीय अधिकारी ने 05 लीटर भर्ती के वनस्पति घी व 15 किग्रा. भर्ती के पाम ऑयल से सम्बन्धित मांग की पुष्टि करते हुए शेष आरोपित मांग को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी ने माना कि रिफाइण्ड पाम ऑयल लूज 31935 किग्रा. का सर्वे टीम द्वारा स्टॉक नहीं लिया गया। सर्वे टीम द्वारा कच्चे माल, स्टॉक इन प्रोसेस व लूज रिफाइण्ड पाम ऑयल का स्टॉक नहीं लिया जाकर केवल टिन व छोटे पैक में फिनिशड माल का ही स्टॉक लिया गया था। यह भी माना कि लूज तेल टैंक में भरा हो सकता है, जिसका स्टॉक लिये जाने की विगत स्टॉक सूची में नहीं पाई गई। इस आशय का व्यवहारी द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया था। सर्वे टीम द्वारा स्टॉक नहीं लिया जाने के कारण को उचित मानते हुए अपीलीय अधिकारी ने रूपये 13,73,205/- का रिफाइण्ड पाम ऑयल से सम्बन्धित कर, ब्याज व शास्ति कुल रूपये 1,69,173/- अविधिक होने से अपास्त किया है।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के पृष्ठ 31 पर स्टॉक रजिस्टर से दिनांक 17.12.2009 को प्रारम्भिक स्टॉक में विभिन्न भर्ती के पाम ऑयल के स्टॉक के अलावा स्टॉक रजिस्टर के पेज संख्या 73 पर 31.935 एम.टी. लूज ऑयल का स्टॉक होना अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध सर्वे फर्द व डिप्टी मैनेजर (अकाउण्ट्स) के बयानों में किसी स्टॉक को नहीं लिये जाने का कोई जिक्र नहीं है। यहां तक कि फर्द अनुसार सर्वे टीम ने समयभाव के होते हुए भी अतिरिक्त स्टाफ लगवाया जाकर तैयार माल का भौतिक सत्यापन भी उसी दिन कराया गया था। यदि किसी भी माल का स्टॉक भूलवश बच भी गया हो तो वह इस बात से जांच अधिकारी को अवगत कराया जा सकता था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जब 29.3.2010 को बहियात से

लगातार.....6

स्टॉक का मिलान किया गया, तब कम पाये गये माल के बारे में जवाब व शपथपत्र में टैंक में लूज रिफाइण्ड पाम तेल होने तथा दिनांक 17.12.2009 को उत्पादित तेल का स्टॉक नहीं लिये जाने की बात कहीं गई है। उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण दिनांक 17.12.2009 के पश्चात दिनांक 14.8.2010 को 8 माह बाद यह बात सूचित करना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। यह सही है कि सर्वे फर्द में लूज तेल के स्टॉक होने का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यदि स्टॉक सर्वेक्षण के समय Inventory में नोट नहीं किया गया था, तो इस तथ्य का पता लगते हुए शपथपत्र के साथ अगले दिन सूचित किया जा सकता था। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने 8 माह बाद के शपथपत्र को विश्वसनीय मानकर विधिक भूल की है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी विभाग की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जाता है।

सर्वेक्षण तिथि को भौतिक सत्यापन में उपलब्ध माल में से विभिन्न भर्ती श्रेणी के वनस्पति घी वजन 25,831.635 किग्रा. कीमतन रूपये 11,10,760/-, रिफाइण्ड पाम ऑयल वजन 1490 किग्रा. कीमतन रूपये 64,087/-, तथा रिफाइण्ड सोया तेल के विभिन्न भर्ती श्रेणी वजन 1680.180 किग्रा. कीमतन रूपये 74,192/- कुल रूपये 12,49,039/- का स्टॉक, स्टॉक रजिस्टर में घोषित से अधिक पाया गया था, जिसके लिये कर निर्धारण अधिकारी ने कर, ब्याज व धारा 75(8) के तहत शास्ति आरोपित की थी।

अपीलीय अधिकारी ने यह आरोपण इस आधार पर अपास्त किया है कि सर्वे टीम द्वारा सर्वेक्षण तिथि को निर्मित माल का भी स्टॉक ले लिया गया था। इस आशय का जवाब व शपथपत्र कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख पेश किया गया था। अपीलीय अधिकारी का मानना है कि दिनांक 17.12.2009 को स्टॉक पंजिका में अंकित प्रारम्भिक स्टॉक को आधार मानकर अधिक स्टॉक बताया गया है, उसमें से यदि सर्वे तिथि को निर्मित स्टॉक को कम किया जाये तो अधिक स्टॉक नहीं बचेगा। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने अधिक पाये गये स्टॉक पर कर, ब्याज व धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 3,74,712/- सहित कुल रूपये 4,28,671/- को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी की यह मान्यता विधिसम्मत नहीं कही जा सकती कि यदि सर्वे दिनांक को निर्मित माल का स्टॉक कम किया जाता तो स्टॉक अधिक नहीं पाया जाता। यह तर्क समझ से परे है कि सर्वे दिन को निर्मित माल के स्टॉक को भौतिक रूप से पाये गये स्टॉक में से कम क्यों कर दिया जाता। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का यह तर्क नहीं है कि दिनांक 17.12.2009 को कच्चे माल का भी स्टॉक लिया गया तथा निर्मित माल का भी लिया गया है अर्थात् दो बार




लगातार.....7

गणना में लिया गया है। सर्वे फर्द अनुसार सांयकाल देरी के बावजूद निर्मित माल का स्टॉक लिया गया था। यदि कोई स्टॉक नहीं लिया गया हो या दो बार ले लिया गया हो तो इस तथ्य को यथाशीघ्र जांच अधिकारी के सर्वे तिथि के बाद अगले दिन परिज्ञान में लाया जा सकता था। अपीलीय अधिकारी ने 8 माह बाद पेश शपथपत्र को विश्वसनीय मानकर भूल की है, जबकि जांच अधिकारी द्वारा स्वाभाविक रूप से समस्त स्टॉक की Inventory तैयार की गई थी, जिसमें किसी प्रकार की भूल होना प्रतीत नहीं होता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि रुपये 12,49,039/- के अधिक पाये गये स्टॉक पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व ब्याज भी आरोपित कर दिया गया है, जबकि स्टॉक विक्रय नहीं किया गया है। अतः कर व ब्याज क्रमशः रुपये 49,962/- व ब्याज रुपये 3997/- कुल रुपये 53,959/- को अविधिक होने के कारण अपास्त करते हुए, इस अंश तक अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति रुपये 3,74,712/- को बहाल किया जाकर इस सीमा तक राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।

उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी राजस्व की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
28/5/14